सिविल वाद के विनिश्चित का शीर्षक
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पटना
दावा वाद सं0 –227/2011
सी0आई0एस0 संख्या–814/2014

दीना देवी, पति–स्व0 वकील पासवान, निवासी– मोहल्ला चांदमारी रोड, थाना कंकड़बाग, जिला–पटना।

.... दावाकर्ता

बनाम

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंश लिमिटेड कंपनी लिमिटेड व अन्य

.... विपक्षीगण

दावाकर्ता की ओर से – श्री राजकुमार, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी संख्या–1 की ओर से– श्री राजेश चन्द्र नारायण, विद्वान अधिवक्ता

आदेश

08.07.2025 प्रसंगाधीन दावा वाद आवेदिका दीना देवी जो मृतक वकील पासवान की पत्नी हैं, की ओर से अपने पति वकील पासवान की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत 21,47,100/– रुपए की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षियों के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभिलेख के साक्ष्य के प्रक्रम पर रहने के दौरान दावाकर्ता दीना देवी एवं विपक्षी संख्या–1 बीमा कंपनी बजाज अलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी के बीच मो0 35,00,000/– रुपए में मोटरयान अधिनियम की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत समझौता कर लिया गया है, उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता पत्र दिनांक 04.07.2026 अभिलेख पर उपलब्ध है। दावाकर्ता द्वारा पूर्व में 50,000/– एन0एफ0एल0 के रूप में प्राप्त कर लिया गया है। अतः विपक्षी संख्या–1 बीमा कंपनी बजाज अलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि समझौता राशि मो0 34,50,000/– रुपए का खाता में भुगतान होने योग्य चेक दवाकर्ता दीना

सिविल वाद के विनिश्चित का शीर्षक
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पटना
दावा वाद सं0 –227/2011
सी0आई0एस0 संख्या–814/2014

लगातार

08.07.2026 देवी के नाम से एक महीने के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार उभय पक्षों के बीच हुए समझौता के आधार पर इस वाद को निष्पादित किया जाता है। समझौता पंचाट का भाग होगा।

लेखापित एवं संशोधित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पटना
08.07.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	08.07.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	––
अपलोडिंग तिथि	13.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक